☎ (07432) 40289,40290
41603

झालावाड केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, झालरापाटन

कमांक-जेकेएसबी/फा. ( )नि.एवं प./2002-03/ दिनांक-

प्रस्ताव - "सहकार सुगम क्रेडिट कार्ड "योजना लागू करने पर विचार

निर्णय - शीर्ष बैंक के पत्र कमांक आरएससीबी /पी एण्ड डी / एफ-8(25) 2001-2002/1001 दिनाँक 4/5/2002से प्राप्त "सहकार सुगम क्रेडिट कार्ड "योजना बैंक में लागू करने का निर्णय लिया जाता है । इस योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में बिन्दुवार अपनायी जाने वाली प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी ।

1- उद्देश्य:

इस योजना का मुख्य उद्देश्य अति लघु उद्यमियों,व्यवसाईयों,शिल्पकारों एवं पारंपरिक व्यवसाइयों जिनकी बैंक वित्त आवश्यकताएं 50,000/-रूपये से अधिक न हो,को सरलीकृत प्रक्रिया से बैंक द्वारा एकीकृत साख सीमा उपलब्ध कराना है ।

2- बैंक की पात्रता

इस योजनांतर्गत साख सीमा की स्वीकृति एवं ऋण केन्द्रीय सहकारी बैंको द्वारा अपने स्वयं के कोषो से दिया जाना है । एवं पुनर्भरण सुविधा उपलब्ध नहीं है । अत: केन्द्रिय सहकारी बैंको को इस योजना को लागू करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि उनके स्तर पर स्वयं के पर्याप्त कोष उपलब्ध है जिससे कि वे इस वर्ग के ऋणियों की वित्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते है । इस बात को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि बैंक द्वारा बैंकिग विनियमन अधिनियम की धारा 18 व 24के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम नकद आरक्षित अनुपात एवं तरल वित्तीय साधन नियमित रूप से रखे जा रहें हो,बैंक द्वारा अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण के लिए नाबार्ड द्वारा निर्धारित न्यूनतम भागीदारी की अनुपालना निरंतर बिना चूक के की जा रही हो तथा शीर्ष बैंक या अन्य किसी संस्था/राज्य सरकार से प्राप्त ऋण का चुकारा समय पर करने में चूक नहीं की गई है । यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि राज्य के कतिपय बैंक जैसे बाडमेर इत्यादि अन्य तकनीकी कारणों से न्यूनतम भागीदारी की अनुपालना नहीं कर पा रहें है अत: इस प्रकार के बैंक इस योजना के अंतर्गत ऋण अग्रिम के लिए पात्र होंगे

इस योजनान्तर्गत पात्र केन्द्रीय सहकारी बैंक यदि उनके पास पर्याप्त अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध है तो अपने संचालक मण्डल/प्रशासक से प्रस्ताव पारित योजना को अंगीकार कर लागू करेंगे ।

3- साख सीमा के प्रकार:

"सहकार सुगम केडिट कार्ड" योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई साख सीमा दृष्टिबंधक ऋण के रूप में होगी । इस प्रकार ऋण राशि एवं निर्धारित मार्जिन से क्रय की गई समस्त सम्पत्ति बैंक के पक्ष में दृष्टिबंधक रहेगी इस प्रयोजन हेतु बैंक को ऋणी से दृष्टिबंधक विलेख प्राप्त करना होगा ।

4- साख सीमा के लिए पात्रता:

अ- इस योजनान्तर्गत ऋण साख सीमा प्राप्त करने के लिए बैंक की शाखा के कार्यक्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को जो व्यवसाय की वृद्धि एवं गुणवत्ता के सुधार हेतु ऋण प्राप्त करने का इच्छुक है,उसे व्यवसाय करते हुए न्यूनतम 3 वर्ष का समय हो चुका होना चाहिए । साथ हीं बैंक वित्त उपलब्ध कराने के बाद उसके व्यवसाय में क्षेत्र की स्थिति एवं व्यवसाय संभावनाओं को देखते हुए इसमें वृद्धि के पर्याप्त अवसर होने चाहिए । इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ऋण प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा पिछले 3 वर्षो मे किये गये व्यवसाय का विवरण प्राप्त करने तथा बैंक अधिकारी /ऋण पर्यवेक्षक द्वारा व्यवसायी के कार्यक्षेत्र का भ्रमण कर अनुमान लगाया जा सकता है ।

ब- इस योजनान्तर्गत साख सीमा स्वीकृति के लिए जिस व्यक्ति द्वारा आयकर दिया जा रहा है, उसे प्राथमिकता दी जानी है क्योंकि इस प्रकार के व्यक्ति के व्यवसाय का एक निश्चित स्तर तो है हीं तथा उसकी आवश्यकता एवं व्यवसाय वृद्धि का आंकलन करना भी आसान होगा ।

5- साख सीमा की राशि:

योजनान्तर्गत साख सीमा चाहने वाले व्यक्ति को दी जाने वाली वित्तीय आवश्यक्ता का आंकलन निम्नानुसार किया जावेगा -

क- उसके द्वारा पिछले 3 वर्षों में किये गये व्यवसाय के टर्नओवर (बिक्री)के वर्षवार विवरण में से जिस वर्ष उसका टर्न ओवर अधिकतम हो, को साख सीमा की गणना हेतु आधार माना जावेगा । जिस वर्ग विशेष के लिए यह योजना बनायी गयी है उस वर्ग द्वारा सामान्यत: व्यवसाय का पर्याप्त विवरण लिखित में नही रखा जाता है । अत: रूपये 15,000/- तक की साख सीमा चाहने वाले अथवा रू.1.00लाख तक के टर्न ओवर दिखाने वाले इच्छुक व्यक्ति द्वारा पिछले 3 वर्षों की बिक्री (टर्न ओवर)के दिये गये विवरण की जाँच व्यवसाय के आस-पास से पूछताछ या अन्य विधी से किये गये अनुमान के आधार पर हीं हो सकेगी । रू.15,000/- से अधिक की साख सीमा आवेदन करने वाले अथवा रूपये 1.00 लाख से अधिक का टर्न ओवर दर्शाने वाले व्यक्ति से संतुलन चित्र तथा अन्य आवश्यक लेखा विवरण प्राप्त किये जावेंगे तथा उनको ही आधार माना जावेगा ।

ख - बैंक द्वारा वित्त पोषण के बाद अगले वर्षों में ऋण चाहने वाले व्यक्ति का टर्न ओवर निश्चित रूप से बढेगा, अत: ऋण आवश्यकता के आंकलन हेतु पैरा संख्या 5(क)के आधार के अंतर्गत प्राप्त टर्न ओवर का डेढ गुना माना जावेगा

ग - व्यवसाय हेतु पूँजी की आवश्यकता के आंकलन के लिए व्यवसाय में वर्ष के न्यूनतम चार रोटेशन माने जावेगे इस प्रकार पैरा संख्या 5(ख)में प्राप्त टर्न ओवर में 4 का भाग दिया जाकर पूँजी आवश्यकता का आंकलन किया जावेगा ।

घ - पैरा संख्या 5(ग)में प्राप्त आंकलित पूँजी आवश्यकता के 60प्रतिशत की साख सीमा बैंक द्वारा स्वीकृत की जानी चाहिए । जो रूपये 50,000/-से अधिक न हो ।

च - इस योजनांतर्गत ऋण चाहने वाले को व्यवसाय हेतु न्यूनतम आवश्यक फर्नीचर, गुणवत्ता बढाने हेतु आवश्यक छोटी मशीने एवं उपकरणों के लिए भी ऋण दिया जा सकेगा जिसका आंकलन इस वस्तुओं के बाजार भाव के आधार पर साख सीमा में 60 प्रतिशत तक निर्धारण किया जावेगा ।

छ - इस प्रकार ऋण चाहने वाले व्यक्ति को साख सीमा स्वीकृति का आंकलन पैरा संख्या 5 (घ)एवं 5(च)के आधार पर किया जावेगा ।

6- <u>साख सीमा की सुरक्षा:</u>

अ- इस योजनांतर्गत ऋणी को स्वीकृति की गई साख सीमा की सुरक्षा के लिए रूपये 25000/- तक की साख सीमा के लिए शाखा के कार्य क्षेत्र में निवास कर रहे दो प्रतिष्ठित साख वाले व्यक्तियों की जमानत प्राप्त करनी है । तथा साख सीमा एवं ऋणी के मार्जिन मनी से कय/ सृजित व्यवसाय से जुडी समस्त सम्पत्तियाँ बैंक के पक्ष में दृष्टिबंधक रहेगी । जमानतदार की साख के संबंध में पुष्टि बैंक स्तर पर की जानी चाहिए । इस प्रकार 25000/- रूपये तक की साख सीमा चाहने वाले ऋणी को बैंक के पक्ष में किसी प्रकार की आनुषांगिक प्रतिभूति उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं होगी ।

ब- 25000/- रूपये से अधिक की साख सीमा की स्वीकृति वाले ऋणियों से बैंक ऋण तथा ऋणी की मार्जिन मनी से कय/सृजित की गई व्यवसाय से जुडी समस्त सम्पत्तियों का दृष्टिबंधक रखे जाने के साथ साथ शाखा के कार्यक्षेत्र के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों की ऋण व ब्याज भुगतान की जमानत एवं स्वीकृत साख सीमा की राशि के समान मूल्य वाली स्थाई अथवा तरल सम्पत्तियाँ आनुषांगिक प्रतिभूति के रूप में बैंक को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा ।

7- ब्याज दर:

योजनांतर्गत दी जाने वाली साख सीमा पर ली जाने वाली ब्याज दर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा समय समय पर मुद्रा बाजार की स्थिति एवं अपने कोषों की लागत के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित की जाती रहेगी परन्तु वर्तमान में यह दर 13 प्रतिशत वार्षिक होगी जिसे बैंक समय की आवश्यकता अनुरूप परिवर्तित करता रहेगा ।

8- साख सीमा का नवीनीकरण:

बैंक द्वारा इस योजनांतर्गत प्रारंभ में ऋण साख सीमा 3 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत की जावेगी परन्तु साख सीमा के उपभोग एवं परिचालन के संदर्भ में बैंक प्रतिनिधी द्वारा किये जाने वाले विजिट नोट के आधार पर यदि स्वीकृत साख सीमा का परिचालन संतोषप्रद नहीं पाया गया एवं विजिटकर्ता प्रतिनिधी द्वारा यह अनुशंसा की जाती है कि स्वीकृत साख सीमा को रद्द कर दिया जाना चाहिए । तो बैंक तदनुसार 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही स्वीकृत साख सीमा को निरस्त कर देगा एवं बकाया समस्त राशि को ऋणी से एकमुश्त वसूल करने की कार्यवाही की जावेगी । इस संबंध में यह आवश्यक है कि इस योजनांतर्गत स्वीकृत साख सीमा वाली प्रत्येक इकाई का त्रैमासिक विजिट अनिवार्य रूप से करायेगा । त्रैमासिक विजिट सार्थक एवं उद्देश्यपूर्ण हो इस प्रयोजन के लिए विजिट नोट का प्रारूप संलग्न परिशिष्ट पर दिया जा रहा है । जिसे आप अपने स्तर पर अपनी आवश्यकता के अनुकूल यदि आवश्यक हो तो परिवर्तित भी करलें

विजिट के समय यदि प्रथम बार स्वीकृत साख सीमा का लेन-देन 3 वर्ष तक संतोषप्रद रहता है तो ऋणी की साख सीमा का नवीनीकरण उससे एक साधारण प्रार्थना-पत्र प्राप्त करके किया जावेगा परन्तु यदि स्वीकृत साख सीमा के अंतर्गत लेन-देन संतोषप्रद नही पाया जाता है । तो नवीनीकरण से पूर्व 3 वर्ष की अवधि में किये गये व्यवसाय का विस्तृत परीक्षण कर बैंक संतुष्ट होने के बाद ही स्वीकृत साख सीमा का नवीनीकरण कर सकेगा ।

9- साख सीमा का परिचालन:

अ- इस योजनान्तर्गत स्वीकृत की गई साख सीमा वाले प्रत्येक व्यक्ति को बैंक द्वारा संलग्न प्रारूप (परिशिष्ट-2)का लेमिनेटेड "सहकार सुगम क्रेडिट कार्ड "जारी किया जावेगा ।

ब- इस योजनान्तर्गत सामान्यत: राशि का आहरण ऋणी को जारी की गई चैक बुक के चैक के माध्यम से हीं होगा परन्तु यदि ऋणी किसी आहरण के समय किसी कारणवश चैक साथ में नही ला पाता है । तो "सहकार सुगम क्रेडिट

चैक बुक , जिसका इन्द्राज बैंक रिकार्ड में किया गया है, मे से लूज चैक उपलब्ध करायेगा एवं उस चैक को भर कर ऋणी साख सीमा के अन्तर्गत आवश्यक्तानुसार राशि प्राप्त कर सकता है । ऐसे लूज चैक्स का विवरण लूज चैक्स इश्यू रजिस्टर में इन्द्राज करके ऋणी के हस्ताक्षर भी कराये जावेंगे ।

स- बैंक इस बात को भी सुनिश्चित करेगा कि ऋणी अपनी बिक्री की न्यूनतम 50 प्रतिशत राशि इस साख सीमा खाते में जमा करवाये ।

10- <u>नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण:</u>

इस योजनांतर्गत साख सीमा प्राप्त करने वाला वर्ग अति लधु व्यवसाई/उथमी,हस्तशिल्पी, दस्तकार एवं पारंपरिक व्यवसाय करने वाला है,अत: योजनांतर्गत स्वीकृत साख सीमा के परिचलन को सरल बनाने के लिए कोई सामयिक रिटर्न निर्धारित नही किया गया हे । उसके स्थान पर शाखा व्यवस्थापक अथवा उसके प्रतिनिधी द्वारा त्रैमासिक विजिट को अनिवार्य किया गया है । तथा यह भी चाहा गया है । कि विजिट के समय बैंक प्रतिनिधी ऋणी से उसके व्यवसाय के संबंध में विचार-विमर्श करे एवं व्यवसाय में वृद्धि अथवा गुणवत्ता में सुधार हेतु उसे अपने सुझाव भी दें । साथ ही स्वीकृत साख सीमा के परिचालन में विजिट नोट में पायी गयी कमियों एवं उसमे सुधार हेतु ऋणी को उठाये जाने वाले कदमों से भी अवगत करवाया जावेगा । इस प्रकार किये गये त्रैमासिक विजिट नोट के आधार पर ही स्वीकृत साख सीमा की अवधि समाप्त होने से पूर्व रद्द किये जाने का निर्णय भी लिया जा सकता है । तथा नवीनीकरण के समय भी यही विजिट नोट्स आधार बनेंगे । अत: बैंक द्वारा इस प्रकार के विजिट्स को गम्भीरता से करवाया जावे ।

11- <u>सदस्यता:</u>

बैंक के उप-नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत ऋणी को बैंक का नोमिनल सदस्य बनाया जाना है, जैसा कि बैंक द्वारा सीधे अग्रिम के अन्य मामलों मे किया जाता है ।

12- <u>दस्तावेज:</u>

बैंक द्वारा पूर्व में ही कैश क्रेडिट लिमिट उपलब्ध करवाई जा रही है । अत: इस योजनांतर्गत स्वीकृत साख सीमा के अंतर्गत भी वे ही दस्तावेज लिये जावेगें । परन्तु इस योजनांतर्गत ये प्रावधान भी है कि स्वीकृत साख सीमा के संतोषप्रद परिचालन नहीं होने पर साख सीमा को 3 वर्ष की अवधि के मध्य में भी रद्द किया जा सकता है । अत: ऋणी से टाईम प्रोमेसरी नोट के साथ साथ डिमाण्ड प्रोमेसरी नोट भी लिया जाना आवश्यक है ।

एसडी/- एसडी/-

प्रबन्ध निदेशक प्रशासक